न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टी.ए./124/2004/जोधपुर

जेठाराम पुत्र श्री सुखाराम (मृतक) जाति जाट निवासी लोहावट जाटाबास तहसील फलोदी जिला जोधपुर के कायम मुकाम :–

1. जगदीश पुत्र श्री जेठाराम
2. बरजु पुत्री श्री जेठाराम
3. तुलछी पत्नी श्री जेठाराम
   समस्त जाति जाट निवासी लोहावट जाटाबास तहसील फलोदी जिला जोधपुर।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1. **माणक (मृतक) के कायम मुकाम :–**
   1/1. गोगी बेवा श्री माणकराम **(नाम तर्क)**
   1/2. सिरदारा राम पुत्र श्री माणकराम
   1/3. माडू बाई पुत्री श्री माणकराम
2. **गुणेशाराम पुत्र श्री सुखाराम (मृतक) के कायम मुकाम :–**
   2/1. जोराराम)
   2/2. लिखमाराम)
   2/3. भूराराम) पिसरान गुणेशाराम जाति जाट निवासी
   2/4. सोनाराम) ग्राम रूपाणा लोहावट तहसील फलोदी
   2/5. झमकु) जिला जोधपुर।
   2/6. अच्चु)
   2/7. मोहनी)
   2/8. अन्नू)
3. **अणदाराम (मृतक) के कायम मुकाम :–**
   3/1. प्रतापा राम पुत्र श्री अणदाराम
   3/2. सुगनी पुत्री श्री अणदाराम
   समस्त जाति जाट निवासी लोहावट जाटाबास तहसील फलोदी जिला जोधपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, फलोदी।

.....रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड–पीठ

श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष

श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

——

उपस्थित :
श्री अमृतपाल सिंह वानर : अधिवक्ता अपीलार्थीगण
श्री दिनेश कुमार : अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1/2 व 1/3
श्रीमती दुनी चन्द डिढारिया : अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के कायम मुकाम

——

दिनांक : 30/8/2018

निर्णय

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के तहत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26/7/2003 (प्रकरण संख्या 55/2002) से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई हैं।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादी जेठाराम द्वारा रेस्पोडेन्ट्स/प्रतिवादीगण माणकराम वगैरह के विरूद्ध एक नियमित वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलेक्टर, फलोदी के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादी/अपीलार्थी एवं प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 की संयुक्त खातेदारी की भूमि ग्राम लोहावट जाटावास में खसरा नम्बर 122 रकबा 181 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 311 रकबा 179 बीघा 20 बिस्वा, खसरा नम्बर 313 रकबा 17 बीघा 9 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 128 रकबा 180 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 970 रकबा 87 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 972 रकबा 17 बीघा 18 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 8 रकबा 102 बीघा स्थित है, जिसमें 1/4 हिस्सा अपीलार्थी का है तथा शेष प्रत्येक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 का 1/4 हिस्सा है। वादी एवं प्रतिवादीगण ने अपनी सहुलियत के लिये काश्त की दृष्टि से आपसी पारिवारिक बटवाडा सम्वत 2015 में कर लिया था और इसी पारिवारिक बटवाडे के अनुसार अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट काबिज है। अतः उपरोक्त भूमि का संलग्न नक्शे के अनुसार बाई मिस्ट्स एण्ड बाउण्ड बटवाडा किया जावें। सहायक कलेक्टर, फलोदी ने बाद सुनवाई अपीलार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को अपने निर्णय दिनांक 31/10/2001 द्वारा खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जिसे अपीलीय न्यायालय ने बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 26/7/2003 द्वारा खारिज कर दी। अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26/7/2003 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील मण्डल में प्रस्तुत की गई है। दौराने अपील अपीलार्थी जेठाराम फौत हो जाने पर उनके कायम मुकाम जगदीश वगैरह को रिकॉर्ड पर लिया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील मीमो में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की है तथा अधीनस्थ न्यायालयों ने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर निर्णय पारित किये हैं, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी ने केवल धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत बटवाडे का वाद प्रस्तुत किया था। विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकारान के विवादित भूमि के के संबंध में किसी प्रकार के कोई हक, हिस्सा व अधिकार तय नहीं करने थे मात्र विवादित भूमि का बटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार करना था। लेकिन विचारण न्यायालय ने इस आधार पर वादी का वाद खारिज कर दिया कि वादी ने न्यायालय में जमाबन्दी प्रस्तुत नहीं की है। वादी ने जो वाद प्रस्तुत किया था उसके जवाबदावे में प्रतिवादी ने वादी के हक, हिस्से व अधिकार तथा वादपत्र के संलग्न नक्शे को स्वीकार किया था। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय को चाहिये था कि वह इसी अनुसार वाद डिक्री करते तथा प्रस्तुत नक्शे के अनुसार अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी भूमि का बटवाडा करते, लेकिन विचारण न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका तर्क है कि अपीलीय न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट की ओर से कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे जिन पर विचार करते हुए अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थी की अपील खारिज कर दी। रेस्पोडेन्ट को चाहिये था कि वह विधि अनुसार प्रार्थना पत्र पेश कर न्यायालय में दस्तावेज प्रस्तुत करते तथा हमें इस पर रिबटल का मौका मिलता लेकिन विधि विरूद्ध तरीके से रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया जाकर अपीलीय न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय पारित किया गया है। अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण को आंशिक सीमा तक प्रतिप्रेषित करते हुए कुछ खसरों में वादी का 1/4 हिस्सा माना लेकिन कुछ खसरा में हक हिस्सा नहीं माना, जो कि राजस्व रिकॉर्ड के विपरीत है एवं इस प्रकार का पारित निर्णय क्षेत्राधिकार से बाहर है। क्योंकि विचारण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय के समक्ष इस प्रकार की कोई तनकी नहीं बनाई गई थी। अपीलीय न्यायालय ने खसरा नम्बर 128 को पैतृक सम्पति नहीं मानकर गुणेशाराम की निजी कमाई से खरीद सुदा आराजी माना है। लेकिन इस संबंध में रेस्पोडेन्ट्स की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिससे जाहिर होता हो कि खसरा नम्बर 128 पैतृक सम्पति नहीं होकर निजी कमाई से खरीद की हुई सम्पति है। विचारण न्यायालय ने वादी का वाद केवल इस बिन्दु पर खारिज कर दिया कि वादी ने जमाबन्दी की नकल वाद के साथ प्रस्तुत नहीं की है। जब कि एक बार वाद दर्ज हो जाता है तो दस्तावेज पेश नहीं करने के कारण वाद को खारिज नहीं किया जाना चाहिये। अपितु वादी एवं प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का विवेचन

करते हुए गुणावगुण पर न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करना होता है, जो नहीं किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान नामान्तरकरण संख्या 520 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि यह नामान्तरकरण अणदाराम (सह खातेदार) के फौत होने पर खोला गया था जिससे स्पष्ट होता है कि खसरा नम्बर 128 में हमारा 1/4 हिस्सा था। विद्वान अधिवक्ता ने बहस के अंत में निवेदन किया कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा दिनांक 26/7/2003 एवं सहायक कलेक्टर, फलोदी द्वारा दिनांक 31/10/2001 को पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत तर्कों का विरोध करते हुए अपनी बहस में निवेदन किया गया कि अपीलीय न्यायालय ने उभय पक्षों को सुनकर विस्तृत निर्णय पारित किया गया है जिसके पेरा संख्या–7 में खसरा नम्बर 128 के संबंध में विस्तृत विवेचन है। खसरा नम्बर 128 की भूमि नवला पुत्र श्री मुकना से अणदाराम व गुणोशाराम ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदी थी, अतः यह खातेदारों की संयुक्त सम्पति नहीं है। जहां तक खसरा नम्बर 970 एवं 972 का प्रश्न है न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि यह अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट की खातेदारी में अंकित नहीं है। अपितु यह राजकीय भूमि है अतः इसका बटवाड़ा नहीं किया जा सकता है। यह बात हम स्वीकार करते है कि खसरा नम्बर 122, 311, 313 एवं 8 हमारी संयुक्त खातेदारी की भूमि है और इसके बटवाडा के संबंध में विद्वान अपीलीय न्यायालय ने स्पष्ट रूप से आलोच्य निर्णय पारित किया है। वास्तव में सम्वत 2015 में उक्त चारों खसरा नम्बरान वादी एवं प्रतिवादी द्वारा आपस में बाट लिये गये थे जब कि खसरा नम्बर 128 सम्वत 2018 में हमारे द्वारा दोनों भाईयों द्वारा खरीदा गया था। विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के बाद एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी. सी. प्रस्तुत किया गया तथा साथ में जमाबन्दी सम्वत 2071–74 ग्राम भोजनगर पटवार हल्का लोहावट एवं खसरा नम्बर 128 के बेचाननामे के नामान्तरकरण की प्रतिलिपि एवं खसरा नम्बर 970, 971 एवं 972 की प्रतिलिपि प्रस्तुत की। उनका तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आलोच्य निर्णय एवं डिक्री पूर्णतया विधिसम्मत है जिनमें ऐसी कोई विधिक या तथ्यात्मक भूल नहीं की गई है, जिसमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप अपेक्षित हो। द्वितीय अपील का क्षेत्र सीमित होता है और केवल विधि के प्रश्न को द्वितीय अपील में उठाया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा बहस के अंत में निवेदन किया गया कि प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि न्यायालय सहायक कलेक्टर, फलोदी के समक्ष वादी जेठाराम पुत्र श्री सुखाराम द्वारा माणकराम के कायम मुकामान तथा अन्य के विरूद्ध एक नियमित वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम, 1955 (वाद संख्या 67/1973) प्रस्तुत किया गया था। जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा दो तनकीयात कायम की गई एवं बाद सुनवाई तनकी संख्या–1 के संबंध में वादी द्वारा वाद दायर के पश्चात किसी भी प्रकार की नकल जमाबन्दी प्रस्तुत नहीं करने के कारण यह तनकी विरूद्ध वादी निर्णित की गई। तनकी संख्या 2 खसरा नम्बर 970, 972 एवं 128 के संबंध में थी और इस भूमि में वादी को कोई खातेदारी हकूक प्राप्त नहीं होने से उन्हें इन खसरा नम्बरान में बटवाडा करवाने का अधिकारी नहीं मानते हुए यह भी तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित करते हुए वाद वादी दिनांक 31/10/2001 को खारिज किया गया है। अपीलार्थी द्वारा इसकी अपील धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई। इस अपील में खसरा नम्बर 122, 311, 313 एवं खस रानम्बर 8 के संबंध में अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत जमाबन्दी में प्रतापाराम पुत्र अणदाराम हिस्सा 1/4, जेठाररम पुत्र सुखाराम हिस्सा 1/4, गुणेशाराम पुत्र सुखाराम हिस्सा 1/4 एवं सिरदारा राम पुत्र माणकराम हिस्सा 1/4 राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने से दर्ज हिस्से के अनुसार बटवाडा कर अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 26/7/2003 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई तथा तहसीलदार, फलोदी को आदेश दिया गया कि वह दोनों पक्षकारों में हस्ताक्षर सहित बटवाडा प्रस्ताव मंगवाते हुए अंतिम डिक्री जारी करने के निर्देश प्रदान किये गये है।

विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित आलोच्य निर्णय के पेरा संख्या 7 में खसरा नम्बर 128 के संबंध में विस्तृत विवेचन करते हुए स्पष्ट अंकित किया गया है कि रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2012–2031 में खसरा नम्बर 128 रकबा 180 बीघा 2 बिस्वा नवला पुत्र मुकना की खातेदारी में दर्ज है था तथा इस आराजी का बेचान नवला पुत्र मुकना ने अणदाराम व गुणेशाराम को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र किया। ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट अभिमत दिया गया कि खसरा नम्बर 128 की आराजी पैतृक सम्पति नहीं होकर अणदाराम एवं गुणेशाराम की निजी कमाई से खरीद शुदा आराजी है इसलिये वादी/अपीलार्थी का खसरा नम्बर 128 में किसी प्रकार का हक एवं हिस्सा नहीं मानते हुए उन्हें खसरा नम्बर 128 के संबंध में बटवाड़ा करवाने का अधिकारी नहीं माना। यह न्यायालय अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित इस अभिमत से पूर्णतया सहमत है। इस संबंध में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा हमारे समक्ष खसरा नम्बर 128 के बेचान से संबंधित नामान्तरकरण की प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई, जो इस तथ्य की पुष्टि करती है।

अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत तर्क कि खसरा नम्बर 128 की भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है, को साबित करने का दायित्व अपीलार्थी/वादी पर था लेकिन उनके द्वारा न तो अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष एव न ही हमारे समक्ष ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, जिससे उनके द्वारा प्रस्तुत इस तर्क की पुष्टि होती हो। जहां तक खसरा नम्बर 970 एवं 972 का प्रशन है, इसके संबंध में अपीलीय न्यायालय ने यह माना है कि इन खसरा नम्बरान में किसी भी प्रकार से अपीलार्थी या रेस्पोडेन्ट के नाम इन्द्राज नहीं है, वरन यह सिवाय चक भूमि है जिस पर खातेदारी प्रदान करते हुए बटवाड़ा नहीं किया जा सकता है। इन खसरा नम्बरान के संबंध में भी उक्त भूमि पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी में सिद्ध करने का दायित्व वादी अपीलार्थी का था लेकिन वह इस तथ्य को सिद्ध नहीं कर पाये है। इसके विपरीत खसरा नम्बर 122, 311, 313 एवं खसरा नम्बर 8 के संबंध में अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत जमाबन्दी अनुसार प्रतापाराम, जेठाराम, गुणेशाराम एवं सिरदारा राम का 1/4–1/4 हिस्सा संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने से दर्ज हिस्से के अनुसार बटवाडा कर अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 26/7/2003 को प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने का आलोच्य निर्णय पारित किया गया है। वादी द्वारा अपने वाद में जो भी बिन्दु उठाये गये है, उन्हें साबित करने का दायित्व स्वयं वादी का ही था, जिसे वह साबित करने में असमर्थ रहा है।

अपीलार्थी द्वारा वर्तमान द्वितीय अपील में अथवा दौराने बहस यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि विचारण न्यायालय अथवा प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा किस साक्ष्य को अथवा किस अभिलेख को किस प्रकार गलत रुप से विवेचित किया गया है। इसके विपरीत, जैसा कि हम पूर्व में अंकित कर चुके हैं, तथ्यात्मक बिन्दुओं पर अपीलीय न्यायालय द्वारा पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य की विस्तृत विवेचना पर आधारित हैं तथा वाद में उठाये गये बिन्दुओं को साबित करने का दायित्व (burden of proof) स्वयं वादी का होता है, जिसे वे सिद्ध नहीं कर पाये है। अतः हमारा स्पष्ट मत है कि हस्तगत तथ्यात्मक बिन्दुओं पर अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय में द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप का कोई आधार उपलब्ध नहीं है।

दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित किये गये निर्णयों के अवलोकन के आधार पर इस न्यायालय का सुविचारित मत है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों पर स्पष्ट विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किये गये हैं तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों में क्षेत्राधिकार संबंधी अथवा विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि कारित नहीं की गई है जिसके आधार पर द्वितीय अपील के माध्यम से उक्त निर्णयों में हस्तक्षेप किया जा सके।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य

(वी. श्रीनिवास)
अध्यक्ष